फर्द आदेशिका

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

अनुश्री बनाम कौशल्या देवी

मुकदमा संख्या / वर्ष 81/2021 : _____ / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थिया / वादिया का मूलवाद पिछले से खारिज किया जा चुका है। प्रारूप अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद का ही भाग है। मूलवाद के खारिज हो जाने पर अकेले प्रारूप को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। मूलवाद के अनुसरण में प्रार्थिया / वादिया का प्रारूप अस्थाई निषेधाज्ञा पिछले से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर के कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17/6/22 को लिखाया जाकर फैसला सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner